# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

**क्रमांकः विज्ञापन सं. 01/भर्ती (P.C.)/EP-I/2017–18** **दिनांक : 18.04.2017**

आयोग द्वारा **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग** के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता (Psychological Counsellor) के पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

| No. of Post(s) | U.R. | | | | S.C. | | | | S.T. | | | | O.B.C. | | | | S.B.C. | | | | P.H. (Horizontal) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | सा.म. | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सा.म. | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सा.म. | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सा.म. | विधवा | परित्यक्ता | सामान्य | सा.म. | विधवा | परित्यक्ता | B/LV | HI | LD/CP (One Leg) |
| 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |

**नवीनतम जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेब–साईट http://www.rpsc.rajasthan.gov.in का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।**

**अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :–**

**(i) MA/MSc in Psychological Counselling from any University recognized by law in India. In case the suitable candidates with above qualification are not available then candidates with M.A./M.Sc. in Psychology with one year experience in Psychological Counselling from a recognized Government Hospital anywhere in India may be considered.**

**(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.**

| | |
|---|---|
| आयु सीमा – दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम। | **रनिंग पे–बैण्ड** – रनिंग पे–बेण्ड (9300–34800) ग्रेड–पे रू. 4800/– |

**आयु सीमा में छूट के प्रावधान**

| क्र.सं. | अभ्यर्थियों का वर्ग | | अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष एंव सामान्य वर्ग की महिला | | 5 |
| 2. | राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला | | 10 |
| 3. | विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला | | अधिकतम आयु सीमा नहीं |
| 4. | निःशक्तजन | सामान्य | 10 |
| | | पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग | 13 |
| | | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 15 |
| | नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit." | | |

**अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान**

| | |
|---|---|
| 1 | भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी। |
| 2 | अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी। |
| 3 | इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। |
| 4 | राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। |
| 5 | कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। |
| 6 | रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स एवं शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझे जावेंगे। |
| 7 | पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। |
| 8 | कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। |
| 9 | सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। |
| 10 | That the upper age limit mentioned above shall be relaxed upto 45 years for the persons repatriated from Burma and Ceylon on or after 1-3-1963 and East African countries of Kenya, Tanganyika, Uganda and Zanzibar with a further relaxation upto 5 years in the case of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. |

**नोट –**

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) शासन से प्राप्त वर्गवार वर्गीकरण में किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी ऊपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

(3 उक्त पद प्रथम बार विज्ञापित किये जा रहे हैं। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **कोई अतिरिक्त छूट** देय नहीं होगी।

**अन्य विवरण**

| | |
|---|---|
| शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान | उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरणः**– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।<br>**नोट :– साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।**<br>**विशेष नोट :– M.A./M.Sc. in Psychology with one year experience in Psychological Counselling from a recognized Government Hospital anywhere in India योग्यताधारक अभ्यर्थियों हेतु योग्यता एवं अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक तक पूर्ण होना अनिवार्य है।** |
| चयन प्रक्रिया | अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी। |
| संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम | यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। |
| आवेदन अवधि | **दिनांक 21–04–2017 से दिनांक 30–04–2017** रात्रि 12–00 बजे तक। |
| आवेदन प्रक्रिया | **1. अभ्यर्थियों द्वारा नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क आयोग की वेबसाईट से ही ई–ग्रास भुगतान के माध्यम का चयन कर जमा कराई जा सकेगी एवं उक्त सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।**<br>**2. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सीधे ही ई–ग्रास की वेबसाईट पर नहीं जावें।**<br>**3. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।** |
| आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन | ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन **दिनांक 01–05–2017 से दिनांक 07–05–2017** रात्रि 12–00 बजे तक। |

विशेष नोट :–

**(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।**

(2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 07 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष सूचना :– "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

अन्य बिन्दु व सूचना :– **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(भगवत सिंह राठौड़)
उप सचिव

विज्ञापन संख्या : 01/भर्ती (P.C.)/EP-I/2017–18/15

दिनांक : 18.04.2017

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत विज्ञापन संख्या – 01/भर्ती (P.C.)/EP-I/2017–18 राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।

सहायक सचिव